

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3467  
जिसका उत्तर मंगलवार 08 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

**उत्कृष्टता केन्द्र**

**3467. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र मशीनरी, मशीन टूल्स, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पम्पों हेतु चार उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना और स्थान/स्थल के चयन हेतु अपनाया गया मापदण्ड क्या है;
- (ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले एक वर्ष में कितने नए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम के अंतर्गत (i) हाई-टेक शटल रहित करघे विकसित करने के लिए केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलौर, कर्नाटक, (ii) 11 मशीन टूल्स प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु, (iii) 3 वेल्डिंग प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु और (iv) स्मार्ट सबमर्सिबल पम्पों को विकसित करने के लिए सि'टार्क, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में चार उत्कृष्टता केन्द्रों का अनुमोदन किया गया है।

(ख): भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्टता केन्द्र शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी संस्थानों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किए गए थे।

(ग) और (घ): भारतीय केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि की स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रौद्योगिकीय विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु एक संघटक के माध्यम से घरेलू केपिटल गुड्स सेक्टर की प्रौद्योगिकी की गहनता में वृद्धि करने हेतु प्रावधान हैं। संस्थानों से उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव, जब और जहां प्राप्त होते हैं, की स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच कर कार्रवाई की जाती है।